न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 58 / 2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/60)

उगाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ जिला चुरू (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चुरू (राज.)
2. हनुमानाराम पुत्र पालाराम जाति जाट नि. मगरासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विनोद पुरोहित – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

निर्णय दिनांकः 10.02.2026

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के प्रार्थना पत्र संख्या 12 / 23 अनवान राजस्थान सरकार बनाम लादूराम आदि निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 20.07.2023 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2025 को उभय पक्ष की बहस सुनकर अपीलान्ट का धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद का स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये गये है।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलांट की वादगत भूमि खसरा नंबर 554 / 311 रकबा 4.2360 हैक्टेयर के संदर्भ मे एवं अन्य खसरा नंबर भूमि के संदर्भ में चालू रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में अंकन दर्ज करवाने हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके वादग्रस्त भूमि व अन्य भूमि के संदर्भ मे खातेदारान की सहमति के तथ्यो के आधार पर उक्त निराधार आवेदन प्रस्तुत करके उक्त अपीलाट की भूमि से रास्ता दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेसपोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन नही करके मात्र सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को राजस्व अभिलेख मे उक्त वादग्रस्त रास्ते का अमल दरामद करने बाबत दिनाक 20.07.2023 को आदेश पारित किये जाने की अपीलान्ट की बिना कोई सहमति एवं बिना कोई सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश अपीलान्ट के वैध, हक अधिकारो के प्रतिकूल पारित किया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतो के विपरित होने के कारण निरस्त फरमाया जावें। इस संबध में न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2024 पार्ट–II पेज 789 एंव आर आर टी 2024 पार्ट–II पेज 1279 का अवलोकन बताया।

यह कि अपीलान्ट के प्रयास से व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से न्यायालय हाजा द्वारा मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की वादगत भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता प्रचलन में नही है। साथ ही खेत पडोसी हनुमान पुत्र उमाराम, रामनिवास पुत्र सुरजाराम, मुनाराम पुत्र हुकमाराम, जगदीश पुत्र रामधनराम ने अपीलान्ट के समर्थन मे शपथ पत्र इस आश्य के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है कि अपीलान्ट के खेत में कभी कोई रास्ता प्रचलन में नही रहा तथा जहा रास्ता अंकन किया गया है वहा मौके पर 30–37 वर्ष पुराने खेजडियो के पेड मौजूद है जहॉ रास्ता प्रचलन मे हो ही नही सकता। इस प्रकार आदेश जैर अपील पूर्णतया मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित राजनैतिक द्वेषतावश मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से अंकन करने के आदेश दिये गये है। जो वास्तविकता से भिन्न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबध मे चलाये गये अभियान के दौरान जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट अंकित है कि जिस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदार की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जा रहा हो, उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया। ना ही अपीलान्ट की ओर से कोई सहमति ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार कानून की परिधि से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को रास्ते की आवश्यकता हो तो वह धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही रास्ता स्वीकृत करा सकता है। इस संबध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का निर्णय दिनांक 19.03.2024 रिट पीटीशन सं. 2120 / 2024 अनुवानी जैताराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रकरण मे दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राप्त कर सकता है।

रेस्पोडेन्ट का कथन है कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत पारित आदेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति मजबूरी मे ही आता है। किसी व्यक्ति का नाजायज उपहास करना शोभा नही देता है।

दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र मे दी गई व्यवस्था मे स्पष्ट अंकित है कि हितबद्व पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है, जिसकी पालना प्रस्तुत मामले में नही हुई है, ना ही अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की सहमति ही ली गई है। इसी कारण अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की। चूंकि जहा परिपत्र संपूर्ण को ही चुनौती दी जानी होती है, वहा माननीय उच्च न्यायालय में उसे चुनौती देने की व्यवस्था है, लेकिन जॅहा परिपत्र की पालना में कोताही बरत, किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य किया जाता है, वहा परिपत्र को चुनौती देने की आवश्यकता नही होकर ऐसे परिपत्र की आड में पारित अनैतिक आदेश को ही चुनौती दिये जाने की व्यवस्था कानून में है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश प्रशासनिक आदेश न होकर न्यायिक आदेश है एवं उसके विरूद्व व्यथित पक्षकार के द्वारा अपील करने से किसी भी कानून में मनाही हनी है। वैसे भी न्यायालय ने उपरोक्त अनुवानी अपील प्रस्तुत करने व दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति पूर्व में प्रदान कर दी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट का मुख्य बिन्दु इकतरफा आदेश के संबध में रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से कोई बहस प्रस्तुत नही की गई है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्व कोई आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिसका उपरोक्त प्रकरण में अभाव है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर पूर्णतः लागू होते है जिनके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाने योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस का जवाब देते हुए अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनुवानी अपील उपरोक्त कारणो से स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाई जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के प्रकरण संख्या 12 / 2023 अनवानी राज्य सरकार बनाम लादूराम आदि निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश में खसरा नं. 277, 278, 279, 280, 282, 856 / 550, 293 / 292, 714 / 207, 715 / 291, 1006 / 310, 1005 / 310, 555 / 311, 554 / 311 मे से चल रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये थे।

यह की अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार सुजानगढ द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान के अन्तर्गत रास्तो की समस्याओ का निराकरण वर्ष 2013 में राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बावत् एक प्रार्थना पत्र क्रमांक 2411 दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे पटवारी हल्का काश्ता, भू अभिलेख निरीक्षक काश्ता द्वारा एक रिपोर्ट ग्राम मगरासर के मौके पर चालु रास्ता जो खसरा नम्बर 278 से 555 / 311 तक चल रहा है को भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, व नियम 58,59, 60, 66, 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम के अन्तर्गत रास्ते के रूप में अंकित करने की अनुशंषा की जिसके साथ नकल चालु जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस, नजरीय नक्शा प्रस्तुत किया एवं सहमति पत्र प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किये जिसमें करीब 25–30 लोगो के हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए सहमति पत्र प्रस्तुत किये। जिन सभी काश्तकारो ने एक राय से रास्ते के चलना व रिकार्ड में अंकन किये जाने की सहमति प्रदान की। इन काश्तकारो के अलावा सरपंच ग्राम मगरासर द्वारा भी इस रास्ते को रिकार्ड में अकन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। उपरोक्त तमाम तथ्यो से सह साबित था कि उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर रास्ता चल रहा था जिसे राजस्व रिकॉर्ड में बतौर रास्ता अंकित किया जाना विधिवत था। केवल मात्र अपीलान्ट द्वारा ही राजनैतिक दुर्भावना के तहत इस रास्ते का अंकन ना किया जा सके इस हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। कानूनन प्रशासन गांवो के संग अभियान में किसी प्रकार को कोई निर्णय प्रदत्त कियें जाते है तो उस आदेश की अपील का प्रावधान नही है ना ही अभियान के तहत परिपत्र में ऐसे आदेशों की अपील किये जाने हेतु कोई प्रावधान दिये गये है। अपीलान्ट द्वारा अपील बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है।

यह कि अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 20.07.2023 की अपील श्रीमान के समक्ष केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर की गई थी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा न्यायालय वाला के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2024 को स्वीकार किया जाकर बतौर रेस्पोडेन्ट सं. 2 पक्षकार बनाया गया। दिनांक 28.05.2024 के आदेश की निगरानी अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में की गई जो दिनांक 21.01.2025 को खारिज कर दी गई। जब राजस्व मण्डल से पत्रावली पुनः न्यायालयवाला के समक्ष बहस हेतु आई तब अपीलन्ट उगाराम द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान द्वारा 14.06.2024 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध भी अपीलान्ट द्वारा अजमेंर में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी भी 21.01.2025 को खारिज कर दी गई। जब पत्रावली पुनः श्रीमान के समक्ष आयी तब अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष राजस्थान हाईकोट का निर्णय पेश किया गया जिसके मुताबिक मौका रिपोर्ट पर पुनः निर्णय किये जाने के निर्देश दिये गये। न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से तलब की गई जो न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है। उपरोक्त तमाम तथ्यो से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट श्रीमान के समक्ष चल रही अपील पर विधि सम्मत निर्णय नही होने देना चाहते है। अपीलान्ट का उद्वेश्य केवल देरी किये जाने का है। जिससे मौके पर विवाद किया जा सके।

अपीलान्ट द्वारा अपने अपील के पैरा संख्या 5 में यह अंकित किया है कि भूमि खसरा नं. 554 / 311 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष अन्य प्रकरण में मुकदमा 70 / 2024 अनवानी परसाराम बनाम उगाराम विचाराधीन रहते हुए जिसमें रेस्पोडेन्ट स्वय पक्षकार होने व प्रकरण राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के बावजूद उक्त विवादित खसरा नम्बर में अंकन किया है। जबकि सही तथ्य यह है कि उक्त दावा परसाराम द्वारा अपने पिता उगाराम पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 20.07.2023 की पालना न हो सके इस हेतु मिलीभगती कर प्रस्तुत किया। इस दावे के साथ संलग्न अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2023 को स्टे जारी किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20.07.2023 को ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया इससे यह स्पष्ट है कि निर्णय किये जाने के बाद पिता पुत्र ने मिलीभगती कर दावा प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय प्रशासन गावो के संग अभियान मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो को निस्तारण करते हुए किया है एवं प्रार्थना पत्र को निस्तारण में परिपत्र 10.08.2016 की समुचित पालना की गई है। सभी काश्तकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सहमति पत्र लिये जाकर ही निर्णय किया गया है। केवल एक मात्र अपीलान्ट के द्वारा ही उक्त निर्णय को मियाद बाहर जाकर चुनौति दी गई है। अदालत मातहत ने जिस परिपत्र के आधार पर आदेश जारी किया है वह परिपत्र राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में अरसा पूर्व जारी किया गया था। कानून जब तक उक्त परिपत्र को राजस्थान उच्च न्यायालय मे चुनौति दी जाकर निरस्त नही किया जाता तब तक उक्त परिपत्र के आधार पर विधि सम्मत किये गये निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को चुनौति नही दी जा सकती। यह कि कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी प्रशासनिक आदेश की अपील नही होती है अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया गया है वह प्रशासनिक आदेश की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश की अपील पेश की गई है उसकी अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है। इस बिन्दु पर नजीरात निम्न है। RRD 1994 PAGE 481, RBJ 1999 PAGE 327 अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट बिना किसी आधार के विधि विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसे खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्व है। उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में करने के आदेश दिये है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी की भौतिक स्थिति के संबध में मौका कमिश्नर नियुक्त कर भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2024 को खारिज कर दिया। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.07.2025 प्रति पेश करने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में तहसीलदार सुजानगढ को दिनांक 24.09.2025 मौका कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि की मौका की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मगवाई गई। ''तहसीलदार सुजानगढ ने अपने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका स्थिति अनुसार ख. नं. 1123/277 से लेकर 1137/555 तक रास्ता चालू है व आवागमन सुचारू है। ख. नं. 1115/554 किस्म गै. मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर बन्द है। ख. नं. 1115/554 व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

18

1116 / 554 मे बाजरे की फसल काश्त होने के कारण मौके पर रास्ते के निशानात् नही पाये गये। ख. नं. 1116 / 554 की खातेदारी उगाराम पुत्र खेताराम जाति जाट नि. मगरासर के नाम दर्ज है।" अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज नही था। साथ ही मौका रिपोर्ट में भी रास्ते का निशानात् नही पाये गये एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर एवं सहमति बिना दर्ज किया गया। हम अभिभाषक अपीलान्ट की इस कथन से भी सहमत है कि दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र मे दी गई व्यवस्था मे हितबद्व पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2023 को कायम रखा जाना उचित नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2023 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर